

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

सोमवार, 27 फरवरी, 1978

खण्ड 1, अक 1.

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 27 फरवरी, 1978

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं	(1)15
(1) सभापतियों की तालिका	(1)15
(2) याचिका समिति	(1)15
सचिव द्वारा घोषणा	(1)16
शोक प्रस्ताव	(1)16
सदन की मेज पर रखे गये कागज—पत्र	(1)29.
सदन की मेज पर पुनः रखे गये कागज—पत्र	(1)29
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन पेश करना	(1)31

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 27 फरवरी 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,
विधान भवन, सैक्टर- 1, चण्डीगढ़ में 15.35 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly , I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly on the 27th February, 1978, at 2.00 P.M. under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

अभिभाषण की प्रति

मान्य स्पीकर महोदय तथा आदरणीय सदस्य-गण,

मैं हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ । यह मेरे लिये प्रथम अवसर

है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूँ । इसे मैं अपना सम्मान तथ सौभाग्य समझता हूँ ।

2. हाल ही में हुए बादली विधान सभा क्षेत्र के उप-चुनाव के बाद मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूँ । इस उप-चुनाव के परिणाम से जाहिर है कि इस क्षेत्र के लोगो ने पिछले जून में राज्य की बागडोर सम्भालने के समय से उई सरकार की नीतियो कार्यक्रमो और कारगुजारी में विश्वास व्यक्त किया है और इनका समर्थन किया है । जनता ने, जो राजनैतिक सत्ता की स्वामी और मूलकारण है, स्वतन्त्रता के लोकतान्त्रिक मूल्यों और सामाजिक तथा आर्थिक

न्याय में अपने विश्वास को पुनः दर्शाया है । मेरी सरकार ने तानाशाही शासन के अधीन दम घुटने वाले वातावरण में रह रहे लोगो की शहरी आजादी को बहाल किया है और स्वतन्त्रता की ऐसी अवस्था ला दी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आजादी से सोच सकता है और निडरता से अपने विचार प्रकट कर सकता है ।

3. स्वतन्त्रता के इस नये वातावरण ने नई आशाओं का संचार किया है, और लोग राज्य के सभी नागरिको के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कई । आशा करते हैं । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां समाज के कमजोर तथा कम सुविधा प्राप्त वर्गों की बहुसंख्या है मेरी सरकार अपने कंधों पर पड़ी जिम्मेदारी को पूरी

तरहं समझती हए । जनता की आवश्यकत के प्रति सचेत मेरी सरकार लगन के साथ ऐसी नीतियो का अनुसरण कर रही है, जिनका उद्देश्य राज्य का बहुमुखी आर्थिक विकास करना तथा राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना है ।

4. आप जानते हैं कि लगभग 8 मास पूर्व जब वर्तमान सरकार ने राज्य का प्रशासन सम्भाला तो राज्य के सामने गम्भीर वित्तीय कठिनाई थी । जून, 1977 में राज्य ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से 37 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था । यह बहुत ही भयंकर स्थिति थी । इसके तुरन्त बाद जब गत वर्ष जुलाई और अगस्त के महीनों में अभूतपूर्व तेजी और फैलाव वाली बाढ़ ने राज्य को अपनी लपेट में ले लिया तो वित्तीय समस्याएं और बढ़ गई । राज्य का लगभग एक-तिहाई क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ । साढ़े बीस लाख हैक्टेयर के कुल अनुमानित क्षेत्र में से, जिसमें अनाज, कपास, सब्जी तथा गन्ने की खरीफ की बुवाई की गई थी, लगभग सात लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसलें या तो नष्ट हो गई, या उन्हें हानि पहुंची । ज्यादातर गुडगांव, रोहतक, सोनीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल तथा महेन्द्रगढ़ जिलों के लगभग अठारह सौ गांवों में 18 लाख से भी आइ धक लोग पीड़ित हुए । फसलों, पशुओं तथा सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगभग 100 करोड़ रुपए लगाया गया है । हरियाणा की जनता ने इस मुसीबत का अपनी रिवायती वीरता, धीरज और सहनशीलता के साथ सामना किया । राज्य सरकार ने भी सभी

सम्भव साधनों का उपयोग करते हुए बाढ़-पीड़ितों को बड़े पैमाने पर सहायता देने के प्रकरण किये । तमाम प्रशासन को युद्ध-स्तर पर बाढ़-सहायता कार्य करने में लगा दिया गया और यह कार्य सीधे मुख्यमंत्री महोदय की देख-रेख और मार्ग-दर्शन में संगठित किया गया । स्थल सेना, वायु सेना तथा हमारे पड़ोसी मिल पंजाब सरकार ने प्रशासन की उल्लेखनीय सहायता की । बाढ़-राहत कार्य में अमृतसर तथा दिल्ली से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधक कमेटी द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए हम उनके विशेष रूप से आभारी हैं । बहुत सई । अन्य सामाजिक संस्थाओं, जैसे हरियाणा नागरिक संघ, कलकत्ता, ने भी इस कार्य में सहायता दी । महामारी तथा पशु-रोंगों को फैलने से रोकने के लिए तथा बाढ़-ग्रस्त गांवों में क्लोरीन-मिला पानी देने के लिए भरपूर उपाय किए गए । बाढ़ में डूबे क्षेत्रों में से पानी निकालने के लिए डेढ करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई ।

5. यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाढ़ पर काबू पा लिया गया, मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को बहुत हद तक रबी की बुवाई के योग्य बना दिया गया । पानी में घिरे क्षेत्रों में लोगों को भोजन, कपड़ा तथा आश्रय-स्थल देने के व्यापक प्रबन्ध किए गए । सर्दी के मौसम के लिए निर्धन लोगों को बड़ी संख्या में रजाइयां दी गई । बीज, खाद तथा चारा खरीदने के लिए किसानों में 3 करोड़ रुपये का तकावी ऋण बांटा गया । सिरसा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र

इत्यादि के लोगों ने अनाज तथा चारा मुफ्त सप्लाई किया । बाढ़ से धिरे अलग-अलग गांवों में निगरानी के लिए एच 0 ए 0 पी 0 के जवान तैनात किये गए, क्योंकि राहत कार्य संगठित करने के लिए ऐं सा करना जरूरी था । किसानों को ट्रैक्टरों के प्रयोग के लिए भी 30 लाख रुपये के तकावी ऋण दिए गए ताकि वे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अपनी भूमि को रबी की बुवाई के लिए ठीक समय पर तैयार कर सकें । राज्य सरकार ने लगभग एक करोड़ रुपये के तकावी ऋण तथा भूमि-कर की वसूली भी स्थगित कर दी । राज्य के लोगों ने भी अपने अभागे बाढ़ग्रस्त भाइयों की सहायता की, जैसा कि मुख्य मन्त्री के सहायता कोष में उदारता से दिए गए धन से स्पष्ट है । नकदी और वस्तुओं के रूप में एक करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के अपनी इच्छा से दिये गये अंशदान प्राप्त हुए । हरियाणा के इतिहास में इससे पहले सहायता 'कोष में स्वेच्छा से इतनी बड़ी माला में धन कभी नहीं दिया गया था । इस राशि में से लगभग 58 लाख रुपये की राशि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निर्धन लोगों को मुफ्त भोजन तथा कपड़े देने के लिए खर्च की गई । राज्य सरकार के सुझाव पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने 11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है (जिसमें सड़क-निर्माण के लिये 3 करोड़ रुपये की राशि शामिल है) ताकि राज्य सरकार बाढ़-संकट की सदा के लिये समाप्ति करने के वास्ते प्राथमिकता के आधार पर बाढ़-नियंत्रण तथा राहत कार्य आरम्भ कर सके ।

6. मेरी सरकार ने बाढ़-सुरक्षा उपाय गम्भीरतापूर्वक आरम्भ कर दिये हैं और राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जल-निकास में सुधार लाने के लिये व्यापक स्कीमों बनाई गई हैं । राज्य-भर में बाढ़-नियंत्रण-कार्य के लिये 138 करोड़ रुपये की लागत की महायोजना तैयार की गई है । इन स्कीमों में नई ड्रेने खोदना, बाढ़ के जोर को कम करने के लिये जलाशयों का निर्माण, नदी-नियंत्रण-निर्माण-कार्य, रिंग बांध (उनको सुन्दर रूप देने के साथ-साथ), लिंक ड्रेने आदि बनाने की स्कीमों शामिल हैं । इनमें से दो मुख्य स्कीमों हैं. मेवात क्षेत्र से जल-निकास के लिये एक अलग योजना बनाना और साहिबी नदी के बाढ़ के पानी के नियमन तथा नियंत्रण के लिए बाँध बनाकर उस नदी के पानी को यथासम्भव सिंचाई के लिये प्रयोग करना । योजना सड़के बनाने के भी प्रबन्ध किये जायेंगे ताकि ग्राम-निवासी बाढ़ के दिनों में भी सूखे मार्ग से आ जा सकें । इन महत्वाकांक्षी स्कीमों की वित्त-व्यवस्था करने के लिये 1978-79 की योजना में 18 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि का उपबंध किया गया है। इस प्रकार आशा है कि चालू तथा आगामी वित्त वर्षों के दौरान लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण-कार्य पूरे किये जाएंगे । राज्य सरकार ने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि बाढ़ की समस्या के ऐसे स्थायी उपाय किये जायें कि आने वाले वर्षों में तबाही न हो । ये स्थायी उपाय बहुत जरूरी समझे गये हैं, क्योंकि इनके बिना सभी विकास कार्य बाढ़ में बह जायेंगे । इन स्कीमों से राजस्थान राज्य तथा दिल्ली क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा । राज्य सरकार की

पहल-कदमी के फलस्वरूप बाढग्रस्त क्षेत्रों के लोग बड़े उत्साह के साथ श्रमदान कर रहे हैं जिसमें मन्त्रिगण, विधायक तथा गांव के लोगों ने मिल-जुल कर काम करने और भ्रातृभाव का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है । मुख्य मन्त्री महोदय की प्रेरणा से अपनी इच्छा से किये जाने वाले इस कार्य के दो अभियान हाल ही में असाधारण सफलता के साथ पूरे किये गये हैं ।

7. मेरी सरकार बाढ़ों से हुई तबाही या खाली खजाने से उत्साह-हीन नहीं हुई बल्कि चालू वर्ष की योजना स्कीमों के वास्ते धन जुटाने के लिए कठोर वित्तीय अनुशासन तथा किफायती साधनों, बकाया कर्जों आदि की वसूली, करों की चोरी रोकने के माध्यम से राज्य की अर्थ-व्यवस्था के सुधार में जुट गई । यह बड़े सन्तोष की बात है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक न केवल 37 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट लगभग समाप्त हो जाएगा बल्कि लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत की अनुमोदित योजना स्कीमों के लिए भी धन की व्यवस्था हो गई होगी । इस कारगुजारी के लिए सरकार सभी की प्रशंसा की पाव है । आबंटन में इस वृद्धि से संकेत मिलता है कि भारत सरकार राज्य की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझती है, और इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं ।

8. मेरी सरकार अब अपनी आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के प्रयास कर रही है । यदि किसानों और कृषि से सम्बद्ध सभी लोगों तथा समाज के अन्य

कमजोर वर्गों के जीवन-स्तर में सुधार लाना है और यदि सच्चे अर्थों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो ऐसा करना बहुत जरूरी है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 1978-79 के लिए 210 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना तैयार की गई है और योजना आयोग द्वारा इसे अनुमोदित करवा लिया गया है । यह राशि चालू वित्त वर्ष की अनुमोदित वार्षिक योजना से 42 प्रतिशत अधिक है जिससे पहले की अपेक्षा राज्य के लोगों के अधिक कल्याण और आर्थिक विकास की आशा है ।

9. जैसा कि आप जानते ही हैं, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग अपने जीवन-निर्वाह के लिये कृषि पर निर्भर हैं । इसीलिए मेरी सरकार ने कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है । चालू वर्ष के दौरान 50 लाख 30 हजार टन की पैदावार की आशा के मुकाबले में वर्ष 1978-79 के दौरान 55 लाख 5 हजार टन अनाज की पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । गेहूं तथा चावल की उपज में महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद अब कपास, दालों तथा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जा रहा है । किसानों को प्रमाणीकृत तथा बढ़िया बीज और कीटनाशक दवाइयों जैसी कृषि-सामग्री सस्ती दरों पर दी जा रही है । मेरी सरकार विभिन्न प्रकार की खादों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए फास्फेट तथा पोटाशयुक्त खादों को सस्ती दरों पर देने की व्यवस्था कर रही है जिससे सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं । कपास

और तिलहन 'की फसलों' पर हवाई छिड़काव का कार्य भी तेज कर दिया गया है । इन 'सभी. उपायों' के परिणामस्वरूप बाढ़ों के कारण फसलों को हुई भारी हानि के बावजूद खरीफ 1977 का कुल उत्पादन 14 लाख 36 हजार टन हुआ जो पिछले वर्ष की खरीफ फसल से केवल एक. लाख साठ हजार टन कम था । तथापि, चावल का उत्पादन पिछले सभी रिकार्ड को मात दे गया और वर्ष 1976-77 के दौरान 8 लाख 17 हजार टन के अधिकतम उत्पादन' के मुकाबले 'में इस बार उत्पादन 9 लाख 72 हजार टन तक पहुंच गया । लोगों के सहयोग तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से बाढ़ के पानी को निकालने में सम्बद्ध सरकारी विभाग के लगातार प्रयासों और व्यापक विस्तार कार्यों के कारण आशा है कि चालू रबी की फसल पिछली फसल की कमी को अधिकांश रूप में पूरा कर देगी ।

10 मेरी सरकार यह अनुभव करती हैकि क्योंकि काश्तके अन्तर्गत और क्षेत्र लाने की गुंजाइश सीमित है, इसलिए औसत उत्पादन को बढ़ाकर ही अधिक उत्पादन प्राप्त करना पड़ेगा । इसलिये सरकार की प्रमुख नीति का उद्देश्य अधिक उत्पादन वाले प्रमाणित बीजों की किस्मों के इस्तेमाल को बढ़ाना, रासायनिक खादों का संतुलित प्रयोग करना, पौधा संरक्षण उपाय करना, भूमि को खेती योग्य बनाना तथा भूमि एवं जूल प्रबंध कार्यक्रम आदि अपनाना है । वर्ष 1978-79 के दौरान सरकार का अनाज की विभिन्न फसलों के 96,300 क्विंटल प्रमाणित बीजों को बांटने का

प्रस्ताव है जबकि चालू वर्ष में लक्ष्य 65,000 क्विंटल था और बांट 77,600 क्विंटल हुई । रासायनिक खादों की खपत का लक्ष्य 2 लाख 10 हजार टन निश्चित किया गया है जब कि चालू वर्ष में 1 लाख 85 हजार टन रासायनिक खाद की खपत हुई और फास्फेट और पोटैश खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया जा रहा है । मशीनीकरण की दिशा में किसानों को ट्रैक्टरों और कृषि सम्बन्धी मशीनरी के चलाने और सम्भालने के लिये विस्तृत सिखलाई देने के लिये दो और सिखलाई केन्द्र स्थापित किये जाएंगे । मेरी सरकार राज्य में विद्यमान व्यापक क्षेत्रीय विषमताओं से भली प्रकार सचेत है । इसलिये राज्य के चिर सूखाग्रस्त और रेतीले सेलों की तरफ विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है । सामान्य विकास कार्यक्रमों के इलावा सूखाग्रस्त और रेतीले इलाकों और नहरों के कमांड क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर 7 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी । सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छिड़काव-सिंचाई पर विशेष बल दिया जा रहा है । राज्य में एक नई कृषि विस्तार योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें सिखलाई और मुआयना पर बल दिया जायेगा । 15 करोड़ रुपये की एक व्यापक योजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है जिसका उद्देश्य मूल स्तर के कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं की कुशलता को बढ़ावा और उन्हें परिवहन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है ।

11 कृषि को आधुनिक बनाने के लिए मेरी सरकार अब भूमि और जल प्रबन्ध के उपायों पर अधिक बल दे रही है । वर्ष

1978-79 में 44,700 हेक्टेयर भूमि को भूमि एवं जल प्रबन्ध उपायों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जबकि इसके अन्तर्गत चालू वर्ष में 26,900 हेक्टेयर भूमि लाए जाने की सम्भावना है । सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मिट्टी सर्वेक्षण तथा भूमि के हमवार करने का कार्य तेज किया जा रहा है । हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लवणीय-क्षारीय भूमि को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । निगम ऐसी लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि का सुधार कर चुका है तथा इस समय 12,000 हेक्टेयर भूमि का सुधार करने की योजना को पूरा करने में लगा हुआ है । इस स्कीम के अन्तर्गत छोटे किसानों को 75 प्रतिशत तथा अन्यो को 50 प्रतिशत की दर से जिप्सम पर आर्थिक सहायता दी जा रही है । कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक कपास परियोजना चलाई जा रही है जिसमें हिसार तथा सिरसा जिलों के 5 ब्लकों का 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है ।

12. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक सिंचाई सुविधाएं जुटाना महत्वपूर्ण है । इसलिये मेरी सरकार सिंचाई और बिजली साधन बढ़ाने के सभी सम्भव उपाय कर रही है । योजना सम्बन्धी स्कीमों के लिये राशि का निश्चित 70 प्रतिशत से अधिक भाग सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए रखा गया है । हरियाणा के इलाके में सतलुज-यमुना लिंक का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है और इस वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि गत वर्ष 9 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे

। पंजाब के इलाके में भी, जहां भूमि अर्जन के लिए कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है, इस परियोजना कानिर्माण-कार्य जल्दी आरम्भ हो जाने की आशा है । आशा की जाती है कि यह महत्वपूर्ण परियोजना निकट भविष्य में फली- भूत हो जाएगी ।

13. राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चलाई जा रही उठान सिंचाई स्कीमों -की प्रगति भी सन्तोषजनक हुई है । वर्ष 1977-78 तथा 1978- 79 के दौरान जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम पर क्रमशः 14 करोड़ रुपए तथा साढ़े बारह करोड़ रुपए के लगभग खर्च होने की सम्भावना है । इसमें पानी को 570 फुट 0"चा उठाया जाएगा । आगामी वित्त वर्ष के अन्त तक जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम से एक लाख से भी अधिक हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जा चुकी होगी । सिवानी कथा लोहार उठान स्कीमे मार्च 1979 तक मुकम्मल हो जाने की सम्भावना है । रिसने से जल की हानि रोकने तथा सेम की समस्या दूर करने के लिए सरकार विश्व बैंक की सहायता से आगामी कुछ वर्षों में वर्तमान नहरों तथा जल- मार्गों को बड़े पैमाने पर ईंटों द्वारा पक्का करने की योजना बना रही है और इसके लिये वर्ष 1978- 79 के दौरान 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है जबकि चालू वर्ष के दौरान डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किये गये । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई स्कीमों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेंगी । उथले नलकूपों तथा पम्पिंग सैटों की संख्या मार्च, 1978 में लगभग दो लाख 27 हजार से

बढ़कर 1978-79 के अन्त तक दो लाख 40 हजार हो जाने की सम्भावना है । 20,000 और नलकूप तथा 1,800 पम्पिंग सैट लगाने के लिए 24 करोड़ रुपए की लागत की नई स्कीम शीघ्र ही ए० आर० डी० सी० द्वारा मंजूर किये जाने की आशा है । वर्ष 1980 के अन्त तक राज्य में 1,200 छिड़काव सैट लगाए जाने प्रस्तावित हैं ।

14. मेरी सरकार राज्य में बिजली के उत्पादन तथा सप्लाई की ओर विशेष ध्यान दे रही है ताकि राज्य में बिजली की कमी न रहे । ऐसा करना राज्य की समृद्धि के लिए अनिवार्य है, क्योंकि उपलब्ध बिजली के लगभग 40 प्रतिशत भाग का कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है । बिजली सप्लाई के मामले में भी कृषि क्षेत्र को परम अग्रता दी गई है । इस समय एक लाख 64 हजार बिजली-प्राप्त नलकूपों से राज्य में 16 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है । चालू वित्त वर्ष के दौरान 12,000 से भी अधिक अतिरिक्त नलकूपों को बिजली दे दी जाएगी तथा आगामी वर्ष में 18,000 नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य है । बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए पानीपत परियोजना तथा फरीदाबाद के तीसरे यूनिट का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है । आगामी वित्त वर्ष के दौरान पानीपत परियोजना की पहली स्टेज के दोनों यूनिटों को परीक्षण के तौर पर चलाए जाने की आशा है । वर्ष 1978-79 के दौरान पहला यूनिट व्यापारिक तौर पर चलना शुरू हो जाएगा और इसके तीन-चार मास बाद दूसरा यूनिट भी चालू

हो जाएगा । पानीपत बिजली परियोजना की पहली स्टेज मुकम्मल हो जाने पर राज्य में 220 मैगावाट बिजली की क्षमता उपलब्ध हो जाएगी । 220 मैगावाट क्षमता वाले पानीपत बिजली घर की दूसरी स्टेज की मंजूरी हो चुकी है तथा चालू और आगामी वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना पर खर्च करने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए का उपबन्ध किया गया है इसके अतिरिक्त 60 मैगावाट क्षमता वाली पश्चिमी यमुना पन-बिजली परियोजना भी मंजूर हो चुकी है, और इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य अगले वित्त वर्ष के दौरान आरम्भ कर दिया जाएगा । नवम्बर 1977 में देहड बिजलीघर के पहले यूनिट के चालू हो जाने और व्यास नदी' का जल प्राप्त हो जाने से भाखडा काम्पलैक्स में बिजली उत्पादन बढ़ गया है जिससे राज्य में बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हो चुका है । जब राज्य की अपनी नई बिजली उत्पादन परियोजनाएँ पूरी हो जायेगी तो बिजली की सप्लाई में और भी सुधार हो जाएगा ।

15. कृषि के विकास के साथ-साथ मेरी सरकार पशुपालन, डेरी विकास मुर्गीपालन, सुअर पालन और भेड़ पालन के विकास पर अधिक जोर दे रही है क्योंकि इन स्कीमों से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचता है । नई डिपैन्सरियां खोलने और हस्पतालो का दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम को जारी रखने के इलावा सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से सज्जित सामान्य चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया है । आगामी वर्ष में ऐसे चार चिकित्सालय खोले जाएंगे । तीन और

सघन पशु विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी । गुडगांव में पहले से ही स्थापित प्रशीतित वीर्य बैंक के इलावा ऐसा एक और बैंक फतेहाबाद में भी खोला जाएगा । छोटे और सीमांत किसानों द्वारा संकर बछिया पालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन और भेडपालन यूनिट खोलने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य में शुरू किया जा रहा है । अब तक 5,500 बछड़ा-पालन यूनिट 2,000 मुर्गी-पालन यूनिट, 580 सुअर-पालन यूनिट और 2,500 भेडपालन युनिट स्थापित किए जा चुके हैं । आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम का और विस्तार किया जावेगा । हरियाणा डेरी विकस सहकारी फ़ैडरेशन 1, 300 दुग्ध सहकारी समितियों से दूध प्राप्त कर रही है । आठ जिलों में जिला दुग्ध संघ गठित विद्' गए हैं । आगामी वर्ष में हरियाणा डेरी विकास सहकारी फ़ैडरेशन के कर्कर्मों में ब-प्लभर।दु संयत और चार अन्य प्रशीतन केन्द्र चालू करना और वर्तमान संयंत्रों को आधुनिक बनाना शामिल है ।

16 राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास में सहकारी संस्थाए सराहनीय भूमिका निभाती रही है । चालू वर्ष में सहकारी संस्थाओं की कार्यचालन पूंजी 500 करोड़ रुपए से बढ़ जाने की आशा है जबकि वर्ष 1976-77 में यह पूजा 465 करोड़ रुपए थी । आशा है चालू वर्ष में सहकारी संस्थाएं 97 करोड़ रुपए अल एवं मध्यम अत्रधि कर्जों के रुप में और 18 करोड़ रुपए दीर्घ अवधि कर्जों के रुप में बाटेगी जबकि गत वर्ष यह राशि क्रमशः 72 करोड़ रुपए और 14 करोड़ रुपए थी । मेरी सरकार ने पुराने चूकी

कर्ताओ से देय राशियों को वसूली की. ओर 'विशेष ध्यान दिया है । वितरित राशि के अधिक बढ़ जाने के बावजूद अल्प एवं मध्यम अवधि ओर दीर्घ अवधि कर्जों की वसूल होने वाली राशियां देश में न्यूनतम रही हैं । हाल ही में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक. को देश में सबसे बढ़िया सहकारी विकास बैंक' माना गया है और इसकी सेवाओं को मान्यता देते हुए इसे प्रधान मन्त्री. द्वारा इनाम दिया गया है । साढ़े चार करोड़ रुपए की लागत से छुए स्पिनिंग मिल हैफेड द्वारा हाल ही में चालू की गई है । हैफैड का निकट भविष्य में विश्व बैंक की सहायता से दो कपास बेलनियां और बिनौलों से पदार्थ बनाने के लिए दो संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस समय सहकारी क्षेत्र में 4 चीनी मिले काम कर रही हैं । राज्य में गन्ने के उत्पादन में बहुत वृद्धि को देखते हुए तथा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य में 5 और चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

17. व्यापक सिंचाई तथा कमांड क्षेत्र विकास परियोजना का, जो वर्ल्ड बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है, मैं विशेषरूप से उल्लेख करना चाहता हूँ । यह परियोजना देश में अपने प्रकार की पहली परियोजना है । परियोजना की कुल लागत 170 करोड़ 93 लाख रुपए है, जिसमें नहरों तथा जल-मार्गों को पक्का कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई करने,

गांवों में सड़को का निर्माण करने, नई मण्डियां स्थापित करने तथा जुई कमांड क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव है । वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों द्वारा परियोजना का मूल्यांकन कर लिया गया है । अब अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है । डेरी विकास के सम्बन्ध में 30 करोड़ रुपए की लागत की एक और परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत की जा रही है । इसमें गुजरात में आनन्द के नमूने पर डेरी विकास तथा दुग्ध उत्पादन के विकास का प्रस्ताव है ।

18. मेरी सरकार ने राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया है और वह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने के लिये गांधीवादी दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित नई संस्कृति का विकास करने के लिये वचनबद्ध है । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को फैलाने और रोजगार के लिये शिक्षित ग्रामीण युवकों को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार हरियाणा सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने वाले लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है । इस स्कीम के अन्तर्गत, कृषकों, व्यापारियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को सांझे औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है । यह स्कीम हरियाणा के गांवों के सामाजिक-प्राथमिक ढांचे में नई क्रांति लाने के लिये बनाई गई है । इन नए उद्यमकर्ताओं

को उनके कुल खर्च के 80 प्रतिशत की सीमा तक आसान शर्तों पर कर्जो दिये जा रहे हैं । चालू वर्ष में ऐसे 110 औद्योगिक यूनिट (राज्य के 11 जिलों में से प्रत्येक में 10 यूनिट) तथा आगामी वित्त वर्ष में 330 और यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है । सरकार द्वारा किये गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बड़े, मध्यम तथा लघु क्षेत्रों में विकास की गति को बनाए रखा गया है । राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिये नकद आर्थिक सहायता देने की स्कीम चलाई जा रही है । राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के अन्तर्गत कम ब्याज की दरों पर कर्जा दिए जा रहे हैं । औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये दिए गए या दिए जाने वाले केन्द्रीय बिक्री टैक्स के बदले में ब्याज रहित कर्ज दिए जा रहे हैं । गुण अंकन सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है और औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता के रूप में उद्यमक्ताओं को प्रारम्भिक राशि की सहायता दी जा रही है । राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें हिसार, भिवानी, सिरसा तथा महेन्द्रगढ़ के जिले आते हैं । बुनकरों की काम करने की- अवस्थाओं में सुधार लाने की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और उनके लिए पानीपत में 328 मकानों की एक बुनकर बस्ती स्थापित की गई है । मेरी सरकार के विभिन्न विभाग ऐसी स्कीमों हाथ में ले रहे हैं जिनसे अल्पावधि प्रशिक्षण बेरोजगार तथा अर्ध-कुशल कामगार अपना रोजगार शुरू कर सकें । यू 0 एन 0

डी० पी०/आई० एल० ओ० की सहायता से 'औद्योगिक कामगारों को विभिन्न लोकप्रिय व्यवसायों में औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं' ।

19. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की प्रगति के लिए पक्की सड़कें तथा परिवहन-सुविधाएं अनिवार्य होती हैं । योजक सड़कें, गांव के लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं । इस आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए गांवों को तेजी से पक्की सड़कों के साथ जोड़ा जा रहा है और मेरी सरकार इन सड़कों के जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है । चालू वर्ष के दौरान इस ढंग से लगभग 200 गांवों को योजक सड़कों के साथ जोड़ा जाना है । भारी बाढ़ के कारण बहुत सी सड़कों को हानि पहुंची थी । केन्द्रीय सरकार ने 3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है और रोहतक, गुडगांव, जींद तथा सोनीपत जिलों के पानी से घिरे क्षेत्रों में सामान्य यातायात को बहाल करने के लिए निर्माण-कार्य जारी है । 1978-79 से आरम्भ होने वाले आगामी चार वर्षों के दौरान राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए 17 करोड़ 73 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत करने के लिए विश्व बैंक को भी लिखा गया है ।

20 हरियाणा राज्य परिवहन ने अपने परिपालन कार्यों को पर्याप्त माता में बढ़ाया है । परिवहन बसें प्रतिदिन लगभग 5 लाख किलो मीटर तय करती हैं जिनमें लगभग 6 लाख यात्री

यात्रा करते हैं । 1978- 79 में बसों की संख्या में वृद्धि करके परिचालन कार्यों को और बढ़ाया जाएगा । 200 पुरानी बसों को बदलने के अतिरिक्त, सरकार का लगभग 200 नई बसें प्राप्त करने का प्रस्ताव है । 1978- 79 के अन्त तक, बसों की संख्या 2, 378 हो जाने की सम्भावना है । इससे देहाती मार्गों पर अधिक बसें चलाई जा सकेगी और सरकार की यह कोशिश होगी कि इस को लाभ ग्रामीण जनसंख्या को और अधिक पहुंचे । यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार समूचे राज्य में विभिन्न स्थानों पर नये 'जनता' दंग के यात्री आश्रय स्थान बना रही है । कामगारों के लिए भी सरकार जींद में एक आवास बस्ती स्थापित कर रही है, जूही आरम्भ में 14 लाख रुपए का अनुमानित लागत से 50 मकान खरीदे जा रहे हैं । इससे कामगारों की चिरकालिक आवश्यकता पूरी होगी ।

21. पर्यटन के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ रहा है । हरियाणा उन कुछ राज्यों में से एक है जिन्होंने गत मांस मारत में हुए पी0 टी0 ए0 सम्मेलन में भाग लिया था । गुड़गांव जिले में तावडू के स्थान पर एक नया पर्यटन केन्द्र स्थापित किया गया है । सूरज कुण्ड, बडखल और सोहना में यात्रियों के लिये कुटियाओं की संख्या में वृद्धि की गई है और देशीय यात्रियों के लिए कम खर्च वाली सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं ।

22. मेरी सरकार द्वारा राज्य में पढ़ाई की सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में

कमजोर वर्गों तथा लड़कियों के लिए । मेरी सरकार ने स्कूलों में प्रवेश-अभियान शुरू किया है जिस के फलस्वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 से 11 वर्ष तक के आयु-वर्ग के लगभग 65 हजार और बच्चे प्र स्कूलों में दाखिल हो जाएंगे । चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 89 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर मिडल और 28 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के विद्यार्थियों और लड़कियों के लिए अंशकालिक श्रेणियों और लड़कियों तथा हरिजन बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिडल स्तर पर पढ़ाई के केन्द्र चल रहे हैं । सभी स्कूलों में खोले गए पुस्तक-बैंकों द्वारा अनु सूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं । पिछली सरकार के समय में गैर-सरकारी कालिजों के कुप्रबन्ध के अनेक उदाहरण थे जिसके कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । मेरी सरकार ने राज्य के ऐसे कालिजों की प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है ताकि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए कालिजों में सुधार-सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके । समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

23. मेरी सरकार स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-भाल को भी उचित महत्व दे रही है जो कि लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । भारत सरकार की नई स्वास्थ्य नीति के अनुसार

हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को देहात के हित के लिये नया मोड़ दिया गया है, जिसके अधीन गांवों में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है । प्रधान मन्त्री द्वारा राज्य में 3- 10- 1977 को जिला गुड़गांव में तावडू के स्थान पर नयी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता योजना का उद्घाटन किया गया । इस स्कीम के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-भाल में तीन-मास की सिखलाई के बाद दे हात में छोटे-छोटे रोगों के इलाज के लिए दवाईयों के बैग दिए जाएंगे । 500 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का पहला दल सिखलाई प्राप्त कर चुका है तथा उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों की सेवा करना भी आरम्भ कर दिया है । पहले पहल वर्ष 197 8- 79 के अन्त तक ऐसे 2, 500 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा देहात के 25 लाख लोगों की सेवा किए जाने की संभावना है । नयी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अधीन 2, 000 'दाइयों' को प्रशिक्षण दे ने का प्रस्ताव है जो सिखलाई के बाद गर्भवती स्त्रियों की सेवा करेंगे । तथा देहात में माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की देख-भाल करेंगी । इस वर्ष के अन्त तक इन 'दाइयों' की सिखलाई पूरी कर दी जाएगी ।

24. राज्य में आयुर्वेदिक औषध प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है । दे सी औषध प्रणाली द्वारा इलाज के बन्दोबस्त के लिए देहात में नए आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की गई है । आयुर्वेदिक विभाग को, जो स्वास्थ्य विभाग के एक अंग के रूप

में कार्य कर रहा था, नवम्बर 1977 से अलग करके, निदेशक आयुर्वेद के अधीन पूर्ण निदेशालय बना दिया गया है । मेरी सरकार का देसी-औषध-प्रणाली की ओर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से नए विभाग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

25. मेरी सरकार पीने के पानी की पर्याप्त सप्लाई के सम्बन्ध में अधिकांश गांवों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाई के प्रति सजग है । इस लिये सरकार इन गांवों के लिए पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रभावी पग उठा रही है । चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए गए थे । आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन एक सौ बीस गांव आएंगे, जिससे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक नलों द्वारा जल प्राप्त करने वाले गांवों की कुल संख्या बढ़कर 1,040 हो जाएगी । इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बैंक से 13 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता लेने के लिए चार-वर्षीय परियोजना भी तैयार की गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत 175 और गांव लाने का विचार है ।

28. मेरी सरकार प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में पक्का विश्वास रखती है और जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा पंचायतों की विस्तरीय प्रणाली को फिर जीवित करने के उद्देश्य से एक कमेटी बना दी गई है जो स्थिति की जांच करके अपनी सिफारिशें देगी जिनका सम्बन्ध कानूनी तबदीली से भी होगा ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का परीक्षण करने के लिए एक 0^०चे दर्जे की कमेटी भी बनाई गई है । आशा है कि यह कमेटी शीघ्र ही सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । हरियाणा शहरी (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम के उपबन्धों का परीक्षण करने के लिए एक और कमेटी गठित कौ गई है जिसकी सिफारिशों के आधार पर कानून में उचित तबदीली करने का प्रस्ताव है । भविष्य में मार्केट कमेटियों का गठन चुनावों द्वारा किया जाएगा और इस उद्देश्य का एक विधेयक वर्तमान सन में पेश किया जा रहा है ।

27. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी तथा तथा कमजोर वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पक्का इरादा किए हुए है ताकि उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हो सके । इन वर्गों के सुधार के लिए अनेक कल्याण स्कीमें पूरी लगन के साथ आरम्भ की गई हैं । अनुसूचित जातियों के सदस्यों, समाज के कमजोर वर्गों, आदि को कुछ किस्मों की फालतू देहाती जमीनें, जो मुस्लमान आदि छोड़ गए थे, सुगम शर्तों पर सीमित नीलामियों में बेची जा रही हैं । सरकार भूमि सुधार उपायों को कार्यान्वित करने के लिए भी वचनबद्ध है ताकि मुजारों तथा भूमिहीन और छोटे भू-स्वामियों के अन्य पाल वर्गों को फालतू भूमि बांटी जा सके । आरक्षित श्रेणियों को यथासम्भव रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के भूमिहीन कामगारों को देहात में दो लाख से अधिक बांटे गये प्लॉटों पर मकानों के निर्माण के लिए ग्रामीण जनता आवास स्कीम के अधीन मकान बनाने का जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । प्रत्येक मकान की लागत 4,000 रुपए से कम होगी । इस उद्देश्य के लिए निर्माण की लागत का 80 प्रतिशत कर्जा राज्य में चल रहे अनुसूचित बैंकों द्वारा सीधा अलाटियों को दिया जाएगा । चालू वित्त वर्ष के अन्त तक लगभग 2, 000 मकान मुकम्मल किए जाने की सम्भावना है । मेरी सरकार ने ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को मुफ्त मकान अलाट करने के लिए जयन्ती ग्राम स्कीम के अधीन 600 मकान बनाने भी आरम्भ कर दिए हैं । ग्रामीण विकास बोर्ड पुनर्गठित किया गया है ताकि समूचे ग्राम विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस संस्था को प्रबल बनाया जा सके । हाल ही में भारत सरकार द्वारा राज्य के तीन ब्लॉकों में समूचा ग्राम विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है ।

28. आपात स्थिति के दौरान व्यक्तिगत एवं सन्थागत स्वतन्त्रता पर लगाए गए कठोर प्रतिबन्धों के हटाए जाने के बाद प्रदर्शनों तथा आन्दोलनों का बढ़ जाना एक स्वाभाविक बात थी । कुछ समाज-विरोधी तत्वों ने भी इस सामाजिक और राजनैतिक तबदीली से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया । कामगारों विद्यार्थियों, व्यापारियों आदि विभिन्न वर्गों ने आन्दोलनों के रूप में अपनी शिकायतें अभिव्यक्त कीं किन्तु मेरी सरकार ने सभी

स्थितियों का युक्ति तथा सहानुभूति से सामना किया और राज्यभर में कानून और व्यवस्था बनाये रखी । सरकार के श्रम विभाग की सहायता से फरीदाबाद, सोनीपत आदि के अनेक उद्योगों में कामगारों और मालिकों के बीच समझौते करवाए गये । मेरी सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि कामगारों के उचित हितों की रक्षा की जाये तथा सरकार का निश्चय है कि उन्हें उनके सामूहिक सौदा बाजी के पुराने अधिकार से वंचित न किया जाये । परन्तु सरकार यह आशा करती है कि उत्पादन को अधिकतम स्तर पर बनाये रखने के लिए प्रबन्धक तथा कामगार अपने विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा लेंगे ।

29. सरकार यह अनुभव करती है कि पुलिस की सफलता की कसौटी उनके द्वारा अपराधों की खोज निकालना, लोगों तक उनकी पहुंच, उनकी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति और जन-सामान्य को सुरक्षा की भावना प्रदान करना है । इसलिए मेरी सरकार सभी शिकायतों को बिना रुकावट दर्ज करने पर जोर देती है । कम केस दिखाने के विचार से केस दर्ज करना केवल अपराधी-के लिये लाभदायक है और इससे कमजोर तथा निर्धन व्यक्तियों को हानि होती है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस सभी स्थितियों में शीघ्र कार्यवाही कर सके, संचार सुविधाओं और गतिशीलता में पर्याप्त सुधार किया गया है । सरकार का प्रस्ताव है कि जांच अमले को बढ़ाया जाए

और उन्हें आधुनिक प्रणाली में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे उत्तम कार्य की आशा के अनुसार अपना कर्तव्य निभा सकें ।

30. जिला कुरुक्षेत्र में सरकार कुछ निहंगों की सरगर्मियों से बने तनाव के कारण चिन्तित रही है जिन्होंने सूचनानुसार अवैध रूप से भूमि तथा समाधियों पर कब्जा करलिया था । जहां सरकार यह कदापि सहन नहीं कर सकती कि कोई वर्ग कानून अपने हाथ में ले ले अथवा कानून का पालन करने वाले नागरिकों को डराये-धमकाए, वहां सरकार का विश्वास है कि सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है । यह सन्तोष की बात है कि इस मामले को शान्तिपूर्वक सुलझाने में पर्याप्त प्रगति हुई है ।

31. मेरी सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधनों का सुझाव देने के लिए जेल सुधार आयोग नियुक्त किया है ताकि, 'सुधार-घरों की स्थिति में सुधार लाने और कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें लाभकारी कार्य में लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके ।

32. मेरी सरकार राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र से भ्रष्टाचारको समाप्त करने और राज्य को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है । गैर-कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की छान-बीन करने के लिए एक चौकसी समिति बनाई गई है । जनता की शिकायतों का, विशेषतः पूर्व शासन द्वारा परिवार

नियोजन तथा पिपली और नगीना में गोली चलाने विषयक अत्याचारों से सम्बद्ध, निवारण करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया गया था । इस आयोग की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा । इसी प्रकार रिवासा में हुई ज्यादतियों की जांच करने के लिए अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का किया गया था । रिवासा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा इस पर आगामी कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने शाह आयोग से प्राप्त ज्यादतियों, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष शिकायतों की जांच करने के लिए जांच आयोग के रूप में प्रवर अधिकारियों को नियुक्त किया है । भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने की नीति का अनुसरण करते हुए मुख्य मंत्री के बाढ़ सहायता कोष में दान प्राप्ति के अतिरिक्त सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से धन इकट्ठा करना बन्द कर दिया है ।

33. करों की वसूली में सुधार लाने के लिए सरकारी ढांचे को कस कर कमियों को दूर करने के लिए मेरी सरकार कर-दाताओं की कठिनाइयों को दूर करना चाहती है । इस उद्देश्य से राज्य में टैक्सों को सरल और युक्तिसंगत बनाने के वास्ते उपायों की सिफारिश करने के लिए टैक्सों के ढांचे के पुनरीक्षण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है । राज्य सरकार नशाबन्दी की नीति को लागू करने के सम्बन्ध में भी उचित कदम उठा रही

है । पहले पहल सिरसा तथा गुड़गांव जिलों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पूर्ण नशाबंदी लागू कर दी गई है और इन क्षेत्रों को 2 अक्तूबर, 1977 से मद्य-निषेध क्षेत्र घोषित करदिया गया है। नशाबन्दी लागू करने की दिशा में उठाए जाने वाले अन्य कदम सरकार के विचाराधीन हैं ।

34. सरकार द्वारा जमाखोरी समाप्त करने के उपायों के माध्यम से कीमतों को बढ़ने से- रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जा रहा है । गेहूं, चीनी, चावल तथा सस्ते दामों का कपड़ा आदि आवश्यक वस्तुएं सहकारी तथा निजी क्षेत्रों में बनाए गए वितरण केन्द्रों द्वारा वितरित कीजा रही- हैं । चीनी की मात्रा 325 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास से बढ़ा कर 400 ग्राम कर दी गई है । मेरी सरकार कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रयत्न कर रही है और इस प्रयोजन के लिए सरकारी विभागों तथा संस्थाओं के वास्ते कोयला अधि प्राप्त करनेका प्रबन्ध कोल इण्डिया लिमिटेड को सौंप दिया गया है ।

35. अन्त में मैं अपनी सरकार के प्रशासन के नये ढंग का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं जिससे जनता की आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं और उसकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है । सर्वप्रथम मेरी सरकार का प्रशासन जनता की शिकायतों के प्रति सहानुभूति रखता है और जनता के

बेरोकटोक मिल सकने की जरूरत को भी पूरी तरह समझता है । मेरी सरकार का विश्वास है कि साधारण लोगों की शिकायतों पर मौके पर ही तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे चाहे दौरे पर हों या मुख्यालय पर, शिकायतों के तलाल निपटान के लिए प्रतिदिन एक घण्टा निश्चित कर दें । मेरे मंत्री भी जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटान करने के लिए व्यापक दौरे कर रहे हैं । दूसरे, मेरी सरकार प्रशासन को साफ—सुथरा बनाने तथा प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है । पिछली सरकार की ज्यादतियों के मामलों की जांच की जा रही है और ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी न्याय देना सुनिश्चित किया जाएगा जो कि पिछली सरकार के शासनकाल में उपलब्ध नहीं था । विकास के क्षेत्र में मेरी सरकार की नीति दे हात में खुशहाली लाना है, इसके लिए कृषि का विकास किया जाएगा और ग्रामीण उद्योगों के द्वारा रोजगार पैदा किया जाएगा जिससे पिछड़े वर्गों को भी अवसर प्राप्त होंगे । अधिक बिजली और सचाई सुविधाओं के मिलने से कृषि में सुधार होगा जिससे खेती से सम्बद्ध कामों में लगे हुए लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे । ग्रामीण औद्योगीकरण की नई नीति से नये उद्यमकर्ता पैदा होगा और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । महत्वपूर्ण स्कीमों पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा और परियोजनाओं के चलाने में जनता का सरगरम सहयोग सुनिश्चित

किया जाएगा । दे हाती और शहरी दोन ओं क्षेत्रों में लोकतान्त्रिक संस्थाओं को बहाल किया जाएगा और उन्हें मजबूत किया जाएगा । कामगार वर्गों की उचित आशाओं को पूरा किया जाएगा और विद्यार्थी वर्ग की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाएगा । शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और सामाजिक ढांचे में महिलाओं को सम्मान- पूर्ण स्थान दिया जाएगा । व्यापारी वर्ग ने राज्य के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, उनकी वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान देकर उनका समाधान किया जाएगा । राज्य के साधनों के सदुपयोग के लिए अत्यन्त किफायत की नीति अपनाई जाएगी और सभी प्रकार के व्यर्थ खर्चों को रोक जाएगा । राज्य नीति के मूलभूत अंगों अर्थात् ' भ्रष्टाचार बन्द' तथा 'पानी का प्रबन्ध' का तनदिही से अनुसरण किया जाएगा । इससे भी बढ़कर मेरी सरकार सारे राज्य में कानून और व्यवस्था तथा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करेगी ताकि सुरक्षा के वातावरण में मानवी परिश्रम खुल खेले । और अन्त में मेरी सरकार ने पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रखने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है और मुझे पूर्ण आशा है कि इससे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों में तेजी आएगी बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता भी सुदृढ़ होगी । बन्धुओ, यह सबको ज्ञात है कि मेरी सरकार हरियाणा के पुनर्निर्माण के महान् कार्य में लगी हुई है और इसकी सभी नीतियां इस उद्देश्य की पूर्ति पर केन्द्रित हैं । सरकार की विकास

योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप राज्य के विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लें तथा अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि हरियाणा को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने का हमारा स्वप्न सच्चा हो सके । मैं राज्य के अधिकारियों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ, जिनका सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने में प्रशंसनीय योगदान रहा है । मेरी सरकार आशा करती है कि वे पूर्ण लगन तथा मिल-जुल कर कम करने की भावना से कर्तव्य निभाएंगे तथा सेवा परम्पराओं और उच्च मानसिक बलको बनाए रखेंगे । मेरी सरकार उन सब अधिकारियों का साथ देगी जो राज्य के कल्याण तथा इसके नागरिकों की भलाई के कार्यों में दत्तचित्त हैं ।

36. आदरणीय सदस्यगण, क्योंकि आपके सम्मुख बहुत भारी एजण्डा है, जिसमें बजट प्रस्ताव और वैधानिक प्रस्ताव शामिल हैं मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ । मैं कामना करता हूँ कि आपके विमर्श में आपको सफलता प्राप्त हो ।

जय हिन्द!

अध्यक्ष द्वारा घोषणायें '

(1) सभापतियों की तालिका

Mr. Speaker : Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative

Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen--

1. Chaudhri Khurshid Ahmed.
2. Sardar Lachhman Singh.
3. Chaudhri Shamsheer Singh.
4. Shri Mool Chand Jain.

(2) याचिका समिति

Mr. Speaker : Under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions-

1. Kanwar Vijay Pal Singh (Deputy Speaker), Ex-officio Chairman.
2. Chaudhri Khurshid Ahmed.
3. Sathi Ayodhya Prashad.
4. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo.
5. Chaudhri Hari Chand Hooda. Now, Secretary to make some announcement.

सचिव द्वारा घोषणा

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण हरियाणा विधान सभा ने अक्तुबर, 1977 में हुए अपने गत सत्र के दौरान पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ :-

1. हरियाणा साधारण विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1977
2. पंजाब मनोरंजन मुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1977
3. पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1977
4. पंजाब कृषि उपज-मंडी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1977
5. पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1977.
6. पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन)विधेयक, 1977
7. हरियाणा विनियोग (सं० 5) विधेयक, 1977.
8. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1977

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब शोक प्रस्ताव पेश होगा ।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त पिछले विधान सभा के सत के पश्चात् और अब जो हम बजट सेशन के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं इस बीच में भारत की बहुत सी महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गयीं । जै री कि लोकतांत्रिक प्रशासनों में प्रदेश की और देश की ऐसी महान् आत्माओं के बारेमें संसार से उनके चले जाने के बाद उनके गुणों की चर्ची और उनके देहावसान करने पर अफसोस करने की प्रथा है उसी प्रथा के अनुसार मैं आज इस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है ।

हमारे स्वर्गवासी श्री भीमसेन सच्चर, एक महान् देशभक्त, विचारक और आदर्शवादी व्यक्ति थे । आज भी हरियाणा और पंजाब में रहने वाले व्यक्ति सच्चर साहब की सुझ-बूझ और उनके नाम और काम से भली भांति परिचित हैं, । स्पीकर साहब, उनका जन्म दिसम्बर, 1893 में पेशावर में हुआ । वकालत पास करने के पश्चात गुजरांवाला में उन्होंने वकालत शुरू की । उस समय भारत को स्वाधीन कराने का जो आन्दोलन देशा में चल रहा था उसमें वे भी शामिल हो गये । कई बार उन्होंने जेलें काटीं, यातनाएं सहीं । उन्होंने पूज्य महात्मा गांधीं- जी के आहवान परे अपनी वकालत छोड़ कर सारा जीवन देश के अर्पण कर दिया । पहली

बार पंजाब में 1936 में वे विधान सभा के सदस्य बने और फिर 1946 में वे इतने लोकप्रिय हो गये कि निर्विरोध चुने गये । स्वाधीनता से पहले पंजाब में कांग्रेस और यूनियनिस्ट ग्रुप की जो सरकार बनी, उसमें वह फाइनेंस मिनिस्टर होकर आये । भारत के बटवारे के बाद वह हमारे यहां के, इस क्षेत्र के, पंजाब के मुख्य मन्त्री बने । वह बड़े कुशल प्रशासक थे । उनके समय ऐसा प्रशासन चला, उन दिनों जो लोग उनके साथ विधान सभा में थे, आज भी वे – लोग उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं । उनके गुणों को और उनकी योग्यता देखते हुए उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया । फिर वे देश से बाहर लंका में भी हाई कमिश्नर के रूप में गये । उन्होंने रायल लाईफ लोड करते हुए भी जीवन मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा । जिन सिद्धांतों के लिये उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, ऐसे अवसर आये कि इस देश के जब सत्ताधारियों ने तानाशाह बनने की कोशिश की और सारे देश को जेलखानों में बदल दिया गया, हजारों लाखों आदमियों को बिला वजह जेलों में डाल दिया गया, उस समय भी ऐसे व्यक्ति की आत्मा तड़प उठी । उन्होंने एक पत्र लिखा । उनके साथ 7 लोग और थे । उस समय की प्रधान मंत्री को उन्होंने यह लिखा कि आप जो काम कर रही हो यह पूज्य महात्मा गांधी जी की भावनाओं के विपरीत है । तुम्हारे पूज्य पिता जी की इच्छाओं के उलट है । उन्होंने यह भी कहा कि तुम इस देश में लोकतन्त्र की हत्या कर रही हो, तुमने अखबारों का मुंह बन्द कर दिया है, राजनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया है । यह सब काम अच्छा नहीं किया । उनकी

बात सुनने की बजाय, उस वक्त के तानाशाहों ने जो हकूमत के नशे में पागल हो रहे थे, स्पीकर साहब, उनको भी उठाकर मीसा में बन्द कर दिया । उस महान् आदमी की मृत्यु होने के बाद आज भी उनके होनहार पुत्र भारत के न्यायमूर्ति के रूप में काम कर रहे हैं । वे अपने पुत्र के यहां बड़े आराम से रह सकते थे लेकिन इस देश की जीवन पद्धति के 0पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दिन बड़ी-कोठियों में रहने की बजाय, बड़े मकानों में रहने की बजाये महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए पट्टी कलियाणा में एक आश्रम में बिताये । जब उनके अन्तिम श्वास निकले तोवे वहां पर रह रहे थे । ऐसी महान् आत्मा के बारे में जितनी भी प्रसंशा की जाये उतना ही थोड़ी है । उनका इस संसार से उठ जाना भारत की धरती से एक ऐसे होनहार व्यक्ति का चला जाना है जिस की कमी कभी पूरी नहीं हो पायेगी ।

इसी प्रकार से पुरानी पीढ़ी के एक सन्त श्रीमन्नारायण, जो कभी आल इंडिया कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी होते थे, उनको भी देश ने हमेशा के लिये खो दिया । उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ । उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की । भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने बढ-चढ कर हिस्सा लिया । वे पूज्य महात्मा गांधी जी के बहुत निकट थे । उनके विचारों पर उनका बड़ा गहरा प्रभाव था । वे बड़े ही सादे व्यक्ति थे । उन दिनों अंग्रेजों के शासनकाल में 18 महीने उनको भी नजरबन्द रहना पड़ा और पूज्य महात्मा गांधी जी के देहावसान के बाद संसार में उनके

विचारों के प्रसार करने का काम उन्होंने किया । वे, स्पीकर साहब, नेपाल के अम्बैसेडर भी रहे और गुजरात के राज्यपाल भी रहे । इस देश में जब एमरजेंसी लागू हुई उस समय वे भी चुप नहीं रह सके । उन्होंने भी उस समय के सत्ताधारियों के दरवाजे पर पहुंच कर यह कहा, उनके बहरे कानों तक यहबात पहुंचाने की कोशिश की कि. भारत की आत्मा को मत रौंदो, यह सोया शेर है, उठेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं । स्पीकर साहब, बड़ी लल्ला आती है. उस वक्त को याद करके । हम तो उस वक्त जेलों में थे । अखबारों में पढ़ते थे । उन्होंने भी उन तानाशाहों से यह कहा कि तुम लेकि नायक श्री जय प्रकाश नारायण से बात करो, उनकी बात. को मान लो, लेकिन सत्ताधारी उनकी इसबात को सुनने के लिये—कहां तैयार थे? ऐसी महान आत्माओं का हमें छोडकर चले जाना, आपको सच को पता ही है कि कितना दुःखदायी होता है

इसी प्रकार भारत के भूतपूर्व चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ श्री एस0एम0 श्रीनगेश का भी 27 दिसम्बर को स्वर्गवास हो गया । श्रीनगेश महाराष्ट्र के रहने— वाले थे और कोल्हापुर में 1903 में उनका जन्म हुआ था । उन्होंने इंग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्त की और 1921 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और 1923 में ब्रिटिश आर्मी में उनको कमीशन मिला । उन्होंने वजीरस्तान, असम एवं बर्मा की लड़ाईयों में बड़ी जवांमर्दी से लड़ाईया लड़ी । उनकी योग्यता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने उनको राज्यपाल भी बनाया और 1959 से लेकर 1965 तक उन्होंने विभिन्न

राज्यपालकीय पदों का दायित्व निभाया । वे एक बड़े अच्छे प्रशासक थे । भारत की धरती से एक महान सैनिक के उठ' जाने से सब को शोक होना स्वाभाविक है ।

इसी प्रकार स्पीकर साहब, आपातकाल में उस समय के कानून मन्त्री श्री हरि रामचन्द्र. गोखले भी इस संसार से विदा हो गए । उनका स्वर्गवास 15 फरवरी को हुआ । स्पीकर साहब, किसी व्यक्ति के साथ चाहे जो मन्त्रीोद हों परन्तु व्यक्ति के गुणों के बारे में सराहना करनी ही चाहिये । हमारे यहां तो सउक परम्परा है कि जीते हुए किसी व्यक्ति की आलोचना करनी चाहिए परन्तु जब व्यक्ति संसार से चला जाए तो उसके बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिये जो अपने को पसन्द न हो । इसलिये मैं आपातकाल में उनके रोल की चर्चा न करते हुए केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गोखले का जन्म 1915 में बड़ौदा में हुआ और उन्होंने वहीं वकालत शुरू की । बाद में 1962 में वे बम्बई हाई कोर्ट के जज बनाए गए और 1966 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में आए । 1971 के चुनावों में विजयी होकर वे लोक सभा के सदस्य बने और भारत के कानून मन्त्री बने ।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई जोकि एक. स्वाधीनता सेनानी थे, उनका निधन भी 4 नवम्बर 1977 को हो गया । वे पहली बार 1939 में और दूसरी बार 1942 में जेल गए और 1942 में तो उनको तीन

साल... जेल. काटनी पड़ी । 1947 में जब वे मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तो उनको मुख्य सचेतक बनाया गया और बाद में 1982 से लेकर 1996 तक.. मुख्य मन्त्री पद का दायित्व निभाया । उनके निधन से मध्य प्रदेश की जनता ने एक महान स्वतन्त्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक खो दिया । हम उनके निधन से कष्ट अनुभव करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, श्री ए 0डी0 मणि का स्वर्गवास 25 दिसम्बर को हुआ है । उनका जन्म 1910 में मद्रास में हुआ था । श्री मणि दी हितवाद' के चीफ एडीटर थे और उन्होंने 35 वर्ष तक इस पद का दायित्व निभाया । वे राज्य सभा के भी सदस्य रहे और आल इंडिया न्यूज पेपर एडीटर कान्फ्रेंस के कई बार चेयरमैन रहे और वह प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के चेयरमैन भी थे । स्पीकर साहब, वे कलम के बहुत धनी थे । वे जहां कलम के धनी थे वहां एक अच्छे पार्लियामेटरियन भी थे । देश ने उनके निधन से एक कुशल और योग्य व्यक्ति खो दिया । मैं बड़े कष्ट और संताप से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसे जाना अवश्य है । यह ईश्वर का अटल नियम है, उसे कोई रोक नहीं सकता । कुछ तो बीमारियों से जाते हैं उसमें व्यक्ति परिश्रम करता है और व्यक्ति को संतोष रहता है कि किसी को बचाने के लिये कुछ किया गया लेकिन कुछ व्यक्ति षडयन्त्र के शिकार होते हैं । स्पीकर साहब, इस देश में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जिन्हें ठीक प्रकार से सरकार चलते हुए सामान्य जन जीवन

चलते हुए अच्छा नहीं लगता । ऐसे ही राष्ट्र द्रोही लोगों ने पिछले दिनों रिवाडी के नजदीक रेल की पटरी में कुछ गड़बड़ कर दी जिसके कारण जयपुर से आते हुए श्री प्रकाश वीर शास्त्री रेल दुर्घटना में मारे गए । हरियाणा के लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने गुडगावां से लोक सभा के लिये चुनाव लड़ा था । वे आर्य समाज के बड़े मेधावी वक्ता थे और लोग उनकी सभाओं में घंटों उनके भाषण को बड़े शान्त भाव से सुनते रहते थे । उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा वाराणसी, आगरा और गुरुकुल में प्राप्त की । वे वृन्दावन गुरुकुल के वाइस चान्सलर भी रहे । वे दो बार लोक सभा के लिये चुने गए और एक बार राज्य सभा के लिये चुने गए । उनके निधन से हमें बहुत दुःख है ।

इसी प्रकार हमारे हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के कुछ बन्धुओं का भी कुछ समय स्कूलों ही निधन हुआ है । उनमें से एक श्री हंसराज सूरी जो अम्बाला छावनी से एम0 एल0 ए 0 चुनकर आए थे । यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है । दूसरे श्री गुरमीत सिंह जो जिला फिरोजपुर के मुक्तसर स्थान के निवासी थे और ज्वाएंट पंजाब में हमारे साथ सदन में थे । बड़े प्रसन्नचित आदमी थे और जनता के कामों में बड़ी रुचि लेने वाले व्यक्ति थे । परन्तु इस काल के सामने किसी की नहीं चलती ।

इसी प्रकार दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी परिषद श्री फतेह सिंह जो किसी सरकारी काम से चण्डीगढ़ आए थे और यहीं बीमार हो गए और यहीं 7 दिसम्बर 1977 को उनका स्वर्गवास हो गया । स्पीकर साहब, जिन महानुभावों के नाम मैंने बताए हैं' उन सब के प्रति शोक व्यक्त करते हुए और उनके परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदना प्रकट करते हुए मैं यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री. शमशेर सिंह (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री महोदय ने जिन दिवंगत व्यक्तियों के प्रति श्रद्धान्जली का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय दस आदमियों में कम से कम पांच ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली से निकट सम्बन्ध रहा है जैसा कि डाक्टर साहब ने बताया और मैं भी बताना चाहता हूँ कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री एक बहुत बड़े समाज सेवी और बड़े हिन्दी प्रेमी व्यक्ति थे । उनकी बहुत ज्यादा मान तथा दर्जा समाज में था । वे अपने समय के बहुत बड़े वफतां थे । उनकी आयु भी पचास साल से ज्यादा नहीं थी । बहुत छोटी उमर में काल ' ने उनको इस संसार से उठा लिया है और इसकी वजह से सारे हरियाणा तथा हिन्दी प्रेमियों को बहुत बड़ा आघात हुआ है । इसी प्रकार श्री हंस राज सूरी, श्री फतेह सिंह तथा सरदार गुरमीत सिंह जो ज्वाएंट पंजाब में पहले भी. एम 0एल 0ए 0 थे और जब हरियाणा और पंजाब एक थे उस वक्त मन्त्री भी थे,

बहुत नौजवान उमर में इस संसार से उठ गए जिसका हमें बहुत भारी दुःख है । डाक्टर साहब ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से उस श्रद्धान्जलि में शरीक होता हूं, शामिल होता हूं । इस बात का मुझे बड़ा दुःख है कि डाक्टर साहब ने इस सौलम ओकेजन को पोलिटीक्लाइज क्रने की कोशिश की । अमरजेन्सी के खिलाफ और दूसरी बातों के खिलाफ बोलने के लिये इस हाउस में और हाउस के बाहर (विधन)

डाक्टर मंगल सेन : मैंने तो घटना का जिक्र किया है ।

I never commented on it.

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, इस हाउस में तथा हाउस के बाहर बहुत मौके हैं लेकिन औबचरी रिफेन्स में जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय या सदस्यगण अगर ऐसे मौके का दुरुपयोग न करें तो बहुत अच्छी— प्रथा होगी । अभी हमारे मन्त्री महोदय ने कांग्रेस राज्य सरकार की बात कही कि लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण जी की बात मानने के लिये उस वक्त की सत्ताधारी सरकार को कहा गया लेकिन उस वक्त की सत्ताधारी सरकार ने नहीं मानी । मैं आज की सत्ताधारी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात को मानने के लिये तैयार हैं?

डाक्टर मंगल सेन : बिल्कुल तैयार हैं ।

श्री शमशेर जैन : स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और अपना स्थान लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री मूलचन्द जैन (सम्भालखा) : स्पीकर साहब, यह जो शोक प्रस्ताव डा 0 मंगल सैन जी की तरफ से इस हाउस में पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । इन महान स्वर्गवासी आत्माओं में से श्री मन्नारायण जी व श्री भीमसेन सच्चर जी से मेरे खास सम्बन्ध रहे हैं । इसलिये उन महान आत्माओं का भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बड़ा भारी कंट्रीव्यूशन रहा है उन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले पट्टी कलियाणा में एके मीटिंग हुई थी, उस में लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी को उनके 75 साल का पूरा होने पर 75 लाख रुपये की थैली भेंट होनी है । उसके लिये हरियाणा समिति का संगठन होना था । उस मौके पर खास खास आदमियों ने जोकि उस काम में दिलचस्पी रखते हैं, सच्चर साहब से आग्रह किया कि वे हरियाणा की समिति के प्रधान वने । इसके लिये सच्चर साहब उन लोगों को बार बार मना करते रहे और कहते रहे कि भाई मेरी उम्र काफी हो गई है, आप किसी और बड़े आदमी को यह जिम्मेवारी सौंपे लेकिन सभी लोगों ने बार बार इसी बात पर जोर दिया तब उन्होंने इस भार को संभाला । स्पीकर साहब, 82-83 साल की उनकी उम्र हो गई थी तब वह

बड़ी जिम्मेवारी के साथ हरियाणा के मुखतलिफ शहरों में लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण का सन्देश लेकर गये, कालेजों में भी और बार—रुमज में भी वे सन्देश लेकर गये ।

स्पीकर साहब, मुझे सन 55 का जमाना भी याद है जब उन्होंने पंजाब और हरियाणा के'। चीफ मिनिस्टरी से इस्तीफा दिया । मेरे ख्याल में मैं यह गलत नहीं कहता, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब मैजोरिटी उनके साथ थी, पार्टी में भी मैजोरिटी उनकी थी, इसके बावजूद जब उन्होंने यह देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके 0ंचे आदर्शों के मुताबिक नहीं चल रही और उन्होंने यह पाया कि वे 0ंचे आदर्शों को चलाने में समर्थ नहीं जैसा कि. एक चीफ मिनिस्टर को होना चाहिये तो उसी वक्त उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरु के पास गये कि मैं इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता, इसलिये मैं इस्तीफा देना चाहता हूं । उन्होंने इस्तीफा दे दिया । स्पीकर साहब, कमाल की बात तो यह है कि पार्लियामेन्टरी बोर्ड की मीटिंग में उनको कहा गया कि वह श्री प्रताप सिंह कैरों का नाम लीडरशिप के लिये प्रोगोज करें और उन्होंने सरदार प्रताप सिंह कैरों का नाम प्रोपोज कराया ।

स्पीकर साहब, इसी तरह से श्री मन्नारायण जी जोकि 57— 58 में कांग्रेस ए0 आई0 सी0 सी0 के जनरल सेक्रेटरी रहे थे । शायद डेबर भाई उस समय कांग्रेस प्रेजीडेन्ट थे । इन लोगों का क्या कमाल का स्टैंडर्ड था? मुझे अपनी ही एक घटना याद है

। डिखक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई टिकट का सवाल था । मैं इस सम्बन्ध में एक फाइल लेकर उनके पास गया । मेरे से वे पूछते है कि यह फाइल मेरे पास कैसे आयी, सो मुझे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया । बाद' में मुझे याद आया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेजीडेन्ट हू, तब जाकर कहीं मेरा पिंड छुटा, मतलब यह कि उसरू वक्त किसी ऐसे वैसे आदमी के हाथ में फाइले नहीं दी जाती थीं, किती का इतना हौंसला नहीं था कि जो चाहे फाइल ले आये । स्पीकर साहब मैं इस हाउस के माननीय सदस्यगण ओर अपने मोहतरिम साथियों. को यह. बताना चाहता हू किं जब औबीचुअरी रेफरेन्स दे तो जो आत्माएं हमारे. से जुदा हो गई हैं, उनको श्रद्धांजलि देते वक्त उन लोगों में जो. गुण थे, क्योकी अवश्य ध्यान में रखें ताकि हमारे जीवन में जो कमियां हैं (चौधरी संत कंवर जी की ओर से विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह शोक प्रस्ताव का टाइम है ।

श्री मूलचन्द जैन : तो मैं आपसे कह रहा था कि जो महान आत्माएं इस संसार से चली गयी उनको श्रद्धांजलि दे ते वक्त उनके गु णों को हमें अवश्य याद रखना चाहिये ताकी हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें ।

चौधरी संत कंवर : आप भी कर लो ।

श्री मूलचन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं इनको क्या कहूं अभी इन्होंने बहुत कुछ सीखना है । यह तो अभी छोटी उम्र के हैं

इनको तहम्मल मिजाजी से सब कुछ सीखना चाहिये ।
स्पीकर—साहब, मैं कह रहा था इन जाने वाली महाने आत्माओं के
जीवन से अगर हम कुछ सबक लें तो मैं समझता हूँ कि इससे
हमारा जीवन सुधरेगा और जिस सेवा के लिये हम यहां इस हाउस
में आये हैं तो हम उस सेवा को और भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे
। स्पीकर साहब, इस के इलावा और भी कई महानुभावों का यहां
इस शोक प्रस्ताव में जिक्र आया है जै से जनरल एस 0 एस 0
नगेश, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, गोखले साहब इन . सभी के प्र ति
में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । इसके इलावा मेरे साथी श्री
शमशेर सिंह जी ने डा 0 मंगलसेन जी के जवाब में जो बात कही
उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री शमशेर सिंह जी को
उस बारे इतना टच्ची नहीं होना —चाहिये था । वह समय तो
आखिर था तो तानाशाही का ही और उसका सामना करने के
लिये लोगों ने बड़ी—बड़ी कुर्बानियां की और जेलें काटीं । जैसे
सच्चर साहब ने एमरजैन्सी का विरोध करते हुए उस समय की
प्रधान मन्त्री 'को एक पल लिखा था और इसी कारण से उनको
गिरफ्तार कर लिया गया । अगर ऐसी सच्चाई का यहां पर जिक्र
आ जाता 'है तो मेरे दोस्त को इतना टच्ची नहीं होना चा हिये
मैं यह महसूस करता हूँ कि जिन महान नेताओं का नाम इस सूची
में दर्ज है उनके परिवारों के प्रति सारे हाउस को सहानुभूति हो
मी चाहिये और किसी भी तरफ से 'विरोध नहीं होना चाहिये ।
स्पीकर साहब, अगर कोई आदमी कितने ही बड़े पद पर क्यों न

हो और अगर वह न्यायपालिका को चैलेन्ज करें तो मेरे ख्याल में उसका यहां जिक्र नहीं आना चाहिये ।

Dr. Mangal Sein : Babu ji, not proper, not good.

श्री मूलचन्द जैन : मेरे साथी मना करते हैं इसलिये मैं इस बात का जिक्र भी करना चाहता लेकिन मैं सरकार से इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी का नाम शोक प्रस्ताव में शामिल न किया जाए । इन बातों का ध्यान रखें । इन शब्दों के साथ जो शोक- प्रस्ताव डा 0 मंगलसेन जी ने पेश किया है- मैं उसका समर्थन करता हूं ।

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : आदरणीय स्पीकर साहब, माननीय डाक्टर मंगल सेन जी ने दिवंगत आत्माओं के लिये जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं अपनी तरफसे तथा अपने साथियों की तरफ से उसका समर्थन करता हूं । बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक बात कही कि जो महान आत्माएं गुजर जाता हैं हमें उनसे कोई न कोई सबक लेना चाहिये । उन्होंने यह जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं । उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि बाबू जब प्रकाशजी के सम्मान में 75 लाख रु० की थैली भेंट की जनि । है और इ काम के लिये हरियाणा के अन्दर उन्होंने एक कमेंटी के निर्माण का भी जिक्र किया लेकिन दिवंगत आत्माओं की तरफ से मैं यह बातू चाहूंगा कि उनके मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिये जैसे बाबू जय प्रकाश नारायण जी के सम्मान के लिये पहत्ने भी एकरू कनेटी वनी

थी । हिसार के अन्दर लाखों रुपये इकट्ठे किये गये थे लेकिन उन रुपयों का आज तक पता नहीं कि कहां गये और कौन खा गया? इसलिये हम दिवंगत आत्माओं को सही श्रद्धा और सम्मान तभी दे सकते हैं जब हम यह प्रण करें कि ऐसी महान विभूतियों को नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका सद-उपयोग किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से तथा अपने साथियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान लेता हूँ ।

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सेन जी की ओर से जो शोक प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसकी ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । इन् महान आत्माओं में से कुछ के साथ मेरा भी सम्पर्क रहा है । जैसे. श्री भीम सैन सच्चर और श्री मन्नारायण जी है । मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे में से कई साथी ऐसे हैं जैसे मुख्य मन्त्री जी, डाक्टर साहब, बाबू मूल चन्द जी तथा और साथी जिनको उनके साथ काम करने का मौका प्राप्त हुआ है । मैं आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि. श्री सच्चर ने जो आदर्श अपने सामने रख कर प्रशासन को चलाया शायद उसकी मिसाल देश. में नहीं बल्कि बाहर भी मिलनी मुश्किल है । प्रशासन में तथा और कामों में वे वजीरों तक की दखल-अन्दाजी को सहन नहीं करते थे । मुझे एक दफा की बात याद कि पी0सी0एस0अफसरों की इन्टरव्यू के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में अपनी

बैठक कर रहा था और उन्हीं. दिनों में कुछ वजीर साहिबान ने शिमला में पता नही दौरा रखा या वैसे गये । सच्चर साहब को यह सन्देह हुआ किं शायद ये वजीर पी० सी० एस० अफसरों की सिलैक्शन में दखल—अन्दाजी करने के लिये वहां गये हैं । 'उन्होंने अगले रोज ही टैलीग्राफिकली मैनेज देकर उन सब वजीरो को बुलाकर कैबिनिट की मीटिंग की और कहां कि मैं' यह तों नहीं कहता कि आप लौग पब्लिक सर्विस कमीशन पर प्रभाव डालने के लिये गये थे लेकिन अगर जाता पर ऐसा असर आ जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में आजादी के तौर पर सिलैक्शन नहीं की जाती तो यह अच्छी बात नहीं है और पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। इसके अलावा मुझे जाति तौर पर उनको अनेक बातों का पता है। उनका कोई निकट रिश्तेदार चाहे वह कितनी भी अच्छी पोजीशन पर है वह किसी सरकारी काम केलिये उनको कहने की हिम्मत ' नहीं रखता था । उन्होंने एक परम्परा चला रखी थी कि मेरा कोई भाई, भतीजा या अन्य कोई रिश्तेदार प्रशासन में दखल नहीं देगा । मेरे एक बहुत ही माननीय साथी जो एम० एल० सी० होते थे और उनका सम्बन्ध किसी अखबार से था, वे अब स्वर्गवास हो चुके हैं । उन्होंने एक दफा पार्टी मीटिंग में यह बात बताई कि डिस्ट्रिक्ट के अफसरों के साथ उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने उन अफसरों को झाड़ा । उन एम० एल० सी० साहब का इतना कहना था कि सच्चर साहब ने कहा कि अगर आप इस तरह अफसरों को धमकायेंगे तो मैं प्रशासन नहीं चला सकता है । सच्चर साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन को

आजादी भी दी और साथ में कंट्रोल भी रखा उनके शासन-काल में कोई उनकी तरफ अंगुली भी नहीं उठा सकता था. कि उन्होंने कोई नाजायज या गलत काम किया हो । उसके बाद वे राजदूत बने और उस वक्त एक सवाल उठा क्योंकि उस वक्त ऐसी परम्परा थी कि जो राजदूत है वह सैक्रेटरी से 0पर किसी से खतों-खिताब नहीं कर सकता । जब खच्चर साहब की अप्याटमेंट हो गई तो उन्होंने कहा 'कि अगर मेरा दर्जा इतना ही है कि मैं सैक्रेटरी से 0पर किसीको पत नहीं लिख सकता तो मैं यह ओहदा मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूँ । इस बात पर 15- 20 दिन तक काफी बात-चीत होती रही आखिर में यह फैसला हुआ कि- आप डायरैक्टली मिनिस्टर को लिख सकते हैं । उन्होंने अपने शासन-काल में तथा जीवन काल में अपने फरायज को पूरा करने में एक आदर्शवादी इन्सान की मिसाल रखी । अगर हम उनकी बातों को ध्यान में रखें तो हमारे देश का और प्रदेश का कल्याण हो सकता है । ऐसी महान आत्माएं संसार में बार बार नहीं आती ।

श्री मन्नारायण जी का जीवन-काल भी सिद्धान्तों से बंधा हुआ था । उनके साथ जिसक सम्पर्क बना होगा वह उनको कभी नहीं भूल सकता । उन्होंने अपने सिद्धांतों को निभाते हुए देश की सेवा की । जिस वक्त देश में आपात स्थिति की घोषणा हुई और लोगों को जेलों में डाला गया तो उन्होंने इस बात को रोकने के लिये पूरी पूरी कोशिश की और वे आखिर तक इन्सानी आजादी के लिये संघर्ष करते रहे । अपने सिद्धांतों पर चलते हुए

उन्होंने न केवल देशवासियों की ही सेवा की बल्कि सारे संसार की सेवा की । इन शब्दों के साथ स्पीकर साहब, मैं उनको तथा अन्य महान नेताओं को जिनका नाम इस सूची में है अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

स्वामी अग्निवेश (पुंडरी): अध्यक्ष महोदय, डा 0 मंगल सेन जी ने जिन महानुभावों के प्रति जो सदन में प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं उन दिवगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ । श्री भीम सैन सच्चर —से मुझे कईबार मिलने का मौका मिला है । उनके जीवन के अन्दर जो सौन्दर्य मैंने देखा है मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ । जब बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तियों के जीवनमें खोखलापन आ जाता है, जब वे अपने प्रभावशाली पदों से मुक्त होकर सत्ता में नहीं 'रहते तो वे अपने जीवन' में एक सुनापन—सा महसूस करते हैं, जीवन से कट जाते हैं और अन्यने आपको रिक्त सा अनुभव करके लगते हैं । लेकिन आदरणीय श्री भीमसैन सच्चर के जीवन में मुझे एक बड़ा उद्देश्य दिखाई दिया । एक व्यक्ति जो राज्यपाल रह चुका हो, मन्त्री रह चुका हो, मुख्य मन्त्री रह चुका हो, राजदूत रह चुका हो, जब वह इस प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक दायित्वों से मुक्त हो जाता है तो यह साधारण है कि वह निराश होकर किसी कोने में बैठ जाता है । लेकिन मुझे सच्चर साहब के जीवन से ऐसा लगा कि वे स्वेच्छा से, अपने सरल स्वभाव को लेकर जनता की सेवा करने के लिये कटिबद्ध रहे और निराशा के कोई लक्षण

प्रतीत नहीं हुए । डा० मंगल सैन जी ने ठीक ही कहा है कि उन का देहावसान सचमुच गे बड़ा सुन्दर था कि अगर उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय प्रासाद में अपना अन्तिम सांस छोड़ा हुआ होता या अपने लडके राजेन्द्र सच्चर के निकट दिल्ली में प्राजान्त किया होता या किसी ०चे स्थान पर वे मरे होते तो शायद उनकी मृत्यु में वह सौन्दर्य दिखाई न देता जो उनके पट्टी कल्याणा स्वाध्याय आश्रम की छोटी-सी झोंपडी जिसमें उन्होंने अपने जीवन की अन्तिम सांस छोड़ी, दिखाई दिया । सचमुच में यह युवा पीढी के लिए एक प्रेरणा की चीज है । मैं समझता हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह एक प्रेरणा की चीज है । आदरणीय सच्चर साहब का जीवन एक प्रेरणा का केन्द्र-बिन्दु है, बहुत शुद्ध है और इससे हमें प्रकाश मिलता रहेगा ।

इसी प्रकार श्री प्रकाश वीर शास्त्री हैं जिनका राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न दलों के साथ बहुत ज्यादा सम्बन्ध रहा है । पार्लियामेंट के अन्दर, संसद के अन्दर उन्होंने जो ओजस्वी भूमिका निभाई, एक प्रचौड राष्ट्रवादी की जो भूमिका निभाई, वह सचमुच ही देश की युवा पीढी के लिए गौरव की बात है । हमारे देश के प्रति बाहरी दुश्मनों से जो समस्याएं आईं, उन्होंने आगे बढ़ कर देश का नेतृत्व किया और अपने प्रचण्ड, ओजस्वी व्यक्तित्व और कला के माध्यम से सारे देश के जनमानस को आन्दोलित किया । ये आर्रा-समाज के लिए तो अमूल्य धरोहर थे ही ।

उन्होंने विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेकर आर्य समाज आन्दोलन को भी सुन्दर ढंगसे चलाया और विधि पूर्वक नेतृत्व किया ।

अध्यक्ष महोदय, एक विशेष व्यक्तित्व, जिनका देहावसान पिछले दिनों हुआ और जिन का नाम किसी कारणवश इस सूची में न आ सका, मैं चाहूंगा कि उन का भी नाम इस सूची में अंकित किया जाए । वे हैं हिन्दी के खड़ी बोली के राष्ट्रीय कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त । वे भी आज हमारे बीच में नहीं रहे । उन्होंने ओजस्वी कविता, छायावाद के स्तम्भ के रूप में जो देश की सेवा की, हिन्दी के माध्यम से साहित्य की जो सेवा की वही प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिये, भारतीय के लिये गौरव की चीज है इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन के जितने उज्ज्वल पक्ष थे, जितनी 0ंची बातें थीं, जिन गहराइयों को वे छू गए थे, जिन मानवीय मूल्यों के लिये वे संघर्ष कर्ते थें क्त. सं. हस प्रेरणा प्राप्त करते रहें और भारत मां की सेवा करने के लिये हमेशा तत्पर रहें । मैं पुन इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हू ।

श्री लछमन सिंह (कालका) : स्पीकर साहब, डा 0 साहब ने जो रेजोल्युशन उन महाल आतमाओ को श्रद्धांजलि देने के मुताल्लिक हाउस में रखा है, मैं अपनी तरफ से उन महान आत्माओं को, जो दुनियाफानी से रुखत फरमा गए हैं, अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि पेश करता हू । सच्चर साहब की याद हमें जेल से ताजा हुई जब वे चक्की नं0 8 में थे । स्पीकर साहब, उन के

स्टैन्डर्ड की बात जरा ध्यान से देखें । जेल का आई० जी० उन का रिश्तेदार था । जेल में जो सहूलियत मिलनी चाहिये थी वे नहीं मिलती थी । एक बार हमें उनका मैसेज मिला कि जेल का खाना ठीक नहीं है, हमें सब्जी भेज दिया कर । हमने सब्जी भेजने की कोशिश की । हम जायज तौर पर इन्तजाम तो नहीं कर पाए । हमारा फासला भी एक दीवार का था, बातचीत तो कर सकते थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते थे । खैर, हमने सच्चर साहब को रोजाना सब्जी भेजने का इन्तजाम किया और वे बड़े मशकूर हुए । आप देखें — वहां उनका रिश्तेदार था, उनको कहना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा । सच्चर साहब की गिरफ्तारी हमारे साथ ही हुई । जहां तक आपकी कुर्बानी का ताल्लुक है, इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिये जो कुर्बानी दी, उस पर हम फखर से कह सकते हैं कि सच्चर साहब की कुर्बानी, सैक्रिफाइसिज ने जो रास्ता हमें दिखाया है, अगर हम उस रास्ते पर अमल करते रहें तो इस देश की आजादी को, जमहूरियत को कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता । इसके इलावा श्री गुरमीत सिंह पंजाब के नौजवान लैजिस्लेटर थे, उस वक्त की रुलिंग पार्टी के सदस्य थे । इन्होंने सोशल वर्कर के तौर पर काम किया । मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता रुखसत फरमा गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : स्पीकर साहब, डा० मंगल सेन जी की तरफ से जो मातमी—प्रस्ताव पेश किया गया है,

मैं उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । जहाँ तक इन महान हस्तियों का ताल्लुक है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे सब देशभक्त थे और समाजसेवी थे, लेकिन अपने अपने युग के मुताबिक इन के जो कारनामे होते हैं, उनको बयान करना ही होता है । आप जानते हैं, श्री भीमसेन सच्चर एक खत लिखने के बारे में गिरफ्तार हुए, जेल में गए और उसी जेल में गए जिस में उन के दामाद कुलदीप नैय्यर मौजूद थे । उन्होंने सोचा कि शायद मुलाकात करने के लिये आए हैं । यह सोचा ही नहीं जा सकता था कि सच्चर साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है । इस प्रकार को महान हस्तियां श्री प्रकाश वीर शास्त्री, श्री गुरमीत सिंह वगैरा हैं । श्री गुरमीत सिंह के साथ हम कई बार असैम्बली में रहे । इनके इलावा दूसरे दिवंगत नेताओं के नाम दौहराने की जरूरत नहीं क्योंकि बार-बार उनका नाम हाउस में आ चुका है । मैं इन सब साथियों को, जिन्होंने अगने अपने हिसाब से देश की सेवा की हैं जिन में दीवान ' हंस राज सूरी भी शामिल हैं, इन के परिवारों के दुख में सारे हाउस को और अपने आपको ' शामिल करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन की रुह को शान्ति बख्शो ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा (मेहम): स्पीकर साहब सदन में जो शोक प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उस में शामिल होता हूँ और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ । स्पीकर साहब, जो कोई दुनियां में आता है उसको जाना ही पड़ता है ।

मौत के हाथ इतने लम्बे हैं उन से कोई बच नहीं सकता । वैसे इन महान आत्माओं से मेरा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा, परन्तु जैसा कि आदरणीय डा० मंगल सेन, मुख्य मन्त्री महोदय और दूसरे सम्माननीय सदस्यों ने, उन के जीवन के बारे में जो कुछ कहा है उसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि मौत के आने से शरीर तो जल सकता है लेकिन सिद्धान्त नहीं जलते । इन महान आत्माओं ने जो जो सिद्धान्त यहां छोड़ हैं, उनका हम स्वागत करें और अपनाएं । अगर हम उन के 'सिद्धांतों' को अपनाएंगें तो यही उनके प्रति एक –सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मैं भी यही श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ ।

कामरेड शंकर लाल (सिरसा) : आदरणीय स्पीकर साहब, इस वक्त जिन महा- पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वे आजादी के योद्धा थे, उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद देश की आजादी के पश्चात वे हमारे देश की हकूमत में भी अगुआ नेता, चीफ मिनिस्टर, गर्वनर या दूसरे पदों पर रहे । मैं उनके बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि मुझे भी उन नेताओं के साथ रहने का मौका मिला है । आदरणीय विनोबा भावे जब हरियाणा की ओर पंजाब की भूमि पर आए थे तो वे लोहारु से होते हुए आये थे 48 दिन तक मैं भी उनके साथ पैदल यावा के अन्दर चला था । वे नेता भी गाहे बगाहे उनसे मिलते थे । श्री मन्नारायण जी भी 'मिलते थे, कई दफा भीमसेन सच्चर जी भी मिलते थे, क्योंकि.

कई बार कैम्प लगते थे और कई बार विचार गोष्ठियां होती थीं । एक दफा कालडी के अन्दर, केरल में, बहुत बडा सर्वीदय सम्मेलन था । उसमें मैं भी गया और भगवान की दया से उसी डिब्बे में मुझे बैठना पड़ गया । जितमें वे नेता लोग दिल्ली से बैठे थे । तमाम रास्ते में प्रार्थनाएं, कीर्तन और अध्यात्मवाद का पाठ होता गया । तो मैं इतना ही कह सकता हू कि यदि देश उन नीतियों के मुताबिक चले, सच्चर जी की नीतियों के मुताबिक चले, श्री मन्नारायण जी की नीतियों के मुताबिक चले तो देश के अन्दर बहुत कुछ सुधार हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके परिवार वालों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दें और उन्हें सुख सुविधा एवं शान्ति प्रदान करें ।

मास्टर शिव प्रसाद (अम्बाला शहर) : आदरणीय स्पीकर साहब, अभी सदन के सामने डाक्टर मंगल सेन जी ने कुछ महान दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं भी उसकी तार्ईद मजीद करते हुए दो मिनट उन महान आत्माओं के बारे में कहना चाहता हूँ । जब देश गुलामी की जंजीरों से जकडा हुआ था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और कोई भी व्यक्ति कुर्बानी के लिये आगे बढ़ने हेतु 101 बार सोचता था उस समय इन महान आत्माओं ने आगे बढ़ कर देश को आजाद कराने के लिये अपनी सुख सुविधा को छोड़ कर कुर्बानी दी । केवल इतना ही नहीं, देश के आजाद होने के

बाद भी इन्होंने बहुत कुर्बानी की है । इनमें से एक व्यक्ति वे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित होने के कारण मुख्य मन्त्री पद पर रहे, बहुत कुशल शासक के तौर पर जिन्होंने हकूमत को चलाया लेकिन अन्तिम समय में, 80 साल की उमर में, ऐमरजेन्सी के दौर के अन्दर, जिस सरकार के वे मुख्य मन्त्री थे, उसी को ठीक बात कहने के कारण, जेल जाना पड़ा । मैं समझता हूँ कि वास्तव में उनका जीवन अत्याचार के खिलाफ लड़ने में लगा है ।

इसके बाद मैं उस वीर योद्धा के बारे में, जो प्रकाशवीर शास्त्री के नाम से जाने जाते थे, अगर एक-दो पंक्तियां इस तरह कह दूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी –

ऐं अजल तुझ से यह कैसी सख्त नादानी हुई,

फूल वह तोड़ा कि सारे गुल्शन में वीरानी हुई ।

इनके जीवन का बहुत सा समय आर्य समाज के क्षेत्र में आय? समाज के प्रसार के लिये लगा । 1957 से लेकर 1970 तक वे लोक सभा के सदस्य रहे । उसकी कार्यवाही में भाग लेते समय पूरे विश्वास के साथ जिस विषय पर भी वे बोले उस पर उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा । 1974 में वे राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वहां भी उन्होंने जो पार्ट अदा किया वह स्मरणीय है । इसलिये आज उनके इस संसार को छोड़ने के बाद आय समाज के क्षेत्र में और पार्लियामैन्ट में जो एक खला पैदा हुआ है वह पूरा होना मुश्किल है ।

इसी तरह अन्य दिवंगत आत्माओं को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एकही बात सदन के सदस्यों को अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हम इन महान आत्माओं के बताए हुए रास्ते पर चलें तो सही शब्दों में वही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी । यह कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : स्वर्गवासी नेताओं के बारे में इस सदन में काफी कहा जा चुका है । जनरल श्री नगेश मेरी रैजीमैन्ट के थे । मुझे उनके साथ कई दफा कुछ अर्से तक काम करने का मौका मिला और मैं यह कह सकता हूँ कि वे एक बहादुर जनरल ही नहीं बल्कि एक महान पुरुष भीरु थे । मुश्किल और मुसीबत के समय में उन्होंने देश की बड़ी भारी सेवा की है ।

इसी तरह प्रकाश वीर शास्त्री जी भी 'मेरे अच्छे दोस्त थे । वे पार्लियामैन्ट में बहुत कगबिल और बहुत ही 0'चे दर्जे के पार्लियामैन्टेरियन थे । इसके इलावा इंस्टिट्यूट आफ कांस्टिट्यूशनल एंड पार्लियामैन्टरी स्टडीज में उनका बहुत ज्यादा कांट्रिब्यूशन था । जो विचार और भावनाएं मेरे साथियों ने इस सदन में पेश की हैं मैं उनमें शरीक होता हूँ और आप सबकी तरफ से उनके कुनबों तक मैं इनको पहुंचाएंगा । (—विधन—)

एक स्वस्थ : श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी को भी इस प्रस्ताव में शामिल कर लें ।

श्री अध्यक्ष : वह अमैडमैन्ट हो जाएगी ।

अब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब खड़े हो कर
उनको याद में दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आस्थाओं की याद में दो
मिनट का मौन धारण किया ।)

सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र

Revenue Minister (Shri Preet Singh) : Sir, 'I beg to lay
on the Table-

1. The Revenue Department Haryana, Notification No. G.S.R. 181/H.A. 26/72/S. 31/Amd.(1)/77, dated the 13th October, 1977, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First Amendment) Rules, 1977, as required under Section 31(2) of the Haryana Ceiling on-Land Holdings Act, 1972.

2. The Annual Financial Statement (Budget Estimates for the year, 1977-78 and revised estimates for the year, 1976-77) of the Haryana State Electricity Board, as required under Section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1943.

3. A copy each of the following four Notifications of the Transport Department, Haryana, containing Amendments in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940 as required under Section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

(i) Transport Department Notification No. G. S. R. 126/C.A. 4/39/SS. 24 and 41/Amd/(19)/77, dated the 8th July, 1977.

(ii) Transport Department Notification No. G.S.R. 127/C.A 4/39/SS. 24 and 41/Amd. (20)/77, dated the 8th July, 1977.

(iii) Transport Department Notification No. G.S.R. 191/C.A.4/SS. 24 and 41/ Amd.(1)/77, dated the 4th November, 1977.

(iv) Transport Department Notification No. G.S.R. 192/C.A.4/39/SS. 24 and 41/Amd.(22)/77, dated the 4th November, 1977.

4. The Language Department, Haryana, Notification No. 10/14/78-Ed. I (3), dated the 25th January, 1978 as required under Section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969.

सदन की मेज पर पुनः रखे गये कागज-पत्र

Revenue Minister (Shri Preet Singh) : Sir, I beg to re-lay on the Table-1. The Excise and Taxation Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 132/ H.A.20/73/S.64/Amd.(2)/77, dated the 15th July, 1977, regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1977; as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

2. The Revenue Department, Haryana, Notification 10/H.A.26/72/S. 31/ Amd.(1)/76, dated the 23rd January, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First Amendment) Rules, 1976, as required under Section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

3. The Revenue Department Haryana Notification No. G.S.R. 67/H.A.26/72/S.31/ Amd.(2)/76 dated the 5th April 1976 regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Rules 1976, as required under Section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

4. The Revenue Department Haryana Notification No. G.S.R.183/H.A.26/72/S.31/ Amd.(3)/76 dated the 4th August,

1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Third Amendment) Rules, 1976, as required under Section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

5. The Revenue Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 222/H.A.26/72/ S.3I /Amd.(4)/76, dated the 15th October, 1976, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (Fourth Amendment) Rules, 1976, as required under Section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

6. The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 24/H.A.30/70/S.22/Amd. (1)/76 dated the 27th February, 1976, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendment) Rules, 1976, as required under Section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

7. The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 147/P.A.3/61/S.115/Amd. (1)/76, dated the 11th June, 1976, regarding the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Non-Official Members (Payment of Allowances) (Haryana First Amendment) Rules, 1976, as required under section 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961.

8. The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 3/H.A. 30/703.22/Amd.(1)/77, dated the 5th January, 1977, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendment) Rules, 1977, as required under Section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

9. The Development and Panchayat Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 45/P.A. 3/61/S.115/Amd.(1)/77, dated the 18th March 1977, regarding the Punjab Panchayat Samitis (Primary Members) Election (Haryana First Amendment) Rules 1977, as required under Section 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961.

10. The Political Department, Haryana Notification, No. G.S.R. 163/H.A. 3/75/S.8/ 76, dated the 2nd July, 1976, regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules 1976 as required under section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act 1975.

11. A copy each of the following Notifications of the Transport Department Haryana, containing Amendments in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939

(i) Transport Department Notification No. G.S.R. 190/C.A.4/39/S.68.Amd. (3)/75, dated 16-12-75.

(ii) Transport Department Notification No. G.S.R. 108/C.A.4/39/Ss./24 & 41/ Amd.(4)/76 dated 7-5-76.

(iii) Transport Department Notification- No. G.S.R. 109/C.A.4/39/Ss. 24 & 41/ Amd.(5)/76 dated 7-5-76.

(iv) Transport Department Notification No. G.S.R. 110/C.A.4/39/Ss. 24& 41/Amd.(6)/76 dated 7-5-76.

(v) Transport Department Notification No. G.S.R. 111/C.A. 4/39/Ss. 24 & 41/ Amd.(7)/76 dated 7-5-76.

(vi) Transport Department Notification No. G.S.R. 112/C.A.4/39/Ss. 24 & .41/Amd. (8)/76 dated .7-5-76.

(vii) Transport Department Notification No. G.S.R. 113/C.A. 4/39/Ss. 24 & 41/ Amd.(9)/76, dated 7-5-76.

(viii) Transport Department Notification No. G.S.R. I14/C.A. 4/39/Ss. 24 & 41/ Amd. (10)/76, dated 7-5-76.

(ix) Transport Department Notification No. G.S.R.

115/C.A.4/39/Ss. 24 & 41/ Amd. (11)/76, dated 7-5-76.

(x) Transport Department Notification No. G.S.R. 116/C.A. 4/39/Ss. 24 & 41/ Amd. (12)/76, dated 7-5-76.

(xi) Transport Department Notification No. G.S.R. I 25/C.A. 4139/Ss. 63 & 68/ Amd. (13)/76, dated 21-5-76.

(xii) Transport Department Notification No. G.S.R. '44 C.A. 4/39/S.58/Amd. (14)/76, dated 28-8-76.

(xiii) Transport Department Notification No. G.S.R. 228/C.A. 4/39/Ss. 24 & 41/ Amd. (15)/76, dated 21-10-76.

(xiv) Transport Department Notification No. G.S.R. 229/C.A. 4/39/S. 24/Amd. (16)/76, dated the 21st October, 1976.

(xv) Transport Department Notification No. G.S.R. 230/C.A. 4/39/S. 68/Amd. (17)/76, dated the 21st October, 1976.

(xvi) Transport Department Notification No. G.S.R. 237/C. A. 4/39/S.70/Amd (18)/76, dated the 5th November, 1976.

12. The Excise and Taxation Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 76/H.A. 20/73/S.64/Amd. (1)/77, dated the 6th May, 1977, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1977, as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन पेश करना

श्री अध्यक्ष : अब प्रिविलिज कमेटी के चौथरमैन श्री खुरशीद अहमद प्रिविलिज कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Chairman of the Committee of Privileges (Chaudhri Khurshid Ahmed) : Sir, I beg to lay on the Table of the House the

Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the alleged use of derogatory remarks against the Speaker and the House as a whole by Chaudhri Hardwari Lal,

श्री अध्यक्ष : हाउस कल दो बजे बाद दोपहर तक मुलतवी किया जाता है ।

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, 28 फरवरी, 1978 के 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् तक के लिये स्थगित हुई ।)

16.47 बजे